

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र

मु.न. 17/2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास
बनाम

चेताराम पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी सैंसवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 19.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम सैंसवास के भूमि ख0न0 309/120 रकबा 14.62 है। किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.0200 हैक्टर पर चेताराम पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी सैंसवास ने बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल विद्वान अधिवक्ता रामकुमार राठी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब कि पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध भूमि ख. न. 309/120 रकबा 14.62 है। में से 0.20 है। भूमि में बाड़ लगाकर अति. करने की रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गलत की हैं। विपक्षी का एक पुराना रिहायशी मकान मय चार दिवारी ग्राम सैंसवास में स्थित है जिसमें विपक्षी अपने पिता-दादा के समय से निवास करते हैं विपक्षी के पास ग्राम सैंसवास में अन्य कोई मकान रहने के लिए नहीं है। उक्त रिहायशी मकान लगभग 70 साल पुराना है। ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा जारी किये गये पट्टे पर प्रार्थी ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा से उक्त पट्टे पर लोन प्राप्त किया था जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। जिसकी एन.ओ.सी. बैंक द्वारा जारी कर दी गई है वर्तमान में पट्टा बैंक के पास है। प्रार्थी को सन् 1986 में ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा शुल्क लेकर पट्टा जारी किया गया था प्रार्थी विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है उपर दर्ज अनुसार प्रार्थी का कब्जा वैध है जिसके लिए कानूनन धारा 91 एल.आर एक्ट की कार्यवाही नहीं चल सकती है। राज. सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 9 (6) राज-6/2000/2 दिनांक 30.01.2006 द्वारा जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक व अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व जिसे अब 01.01.2000 तक बढ़ा दिया गया है से पूर्व आवास ग्रह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों नियमन करने के भी आदेश किये जा चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थी कृषि श्रमिक व कारीगर की श्रेणी में आता है इसलिए प्रार्थी उक्त पट्टे शुदा सन् 1986 से निर्मित मकानों की भूमि का अलग से पट्टे शुदा भूमि का नियमानुसार नियमन भी किया जाना भी न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह/जोहड़ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 309/120 रकबा 14.62 है। गै.मु. चारागाह में से 0.0200 है. पर बाड़ लगाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 11/-रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि चारागाह भूमि पर बनी बाड़ को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सन् 4 छे पृष्ठ संख्या 28 पर राशि
11 रु वर्ष 24-25 में मांग कायम
की गयी।

(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार मंडावा
तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनू